सख्या:- 124/2025/आई-978103/001- 362आ0-23-5002-002- 28-2025
(कम्प्यूटर सं0- 1929977)

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर, सीतापुर मुजफ्फरनगर, अमरोहा एवं शाहजहांपुर के 05 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-13910/CE-BLD/INS/KNP/2025-26, दिनांक 19.05.2025, 13909/CE-BLD/INS/LKO/2025-26 दिनांक 19.05.2025, 13911/CE-BLD/INS/SAH/2025-26 दिनांक 19.05.2025, 14163/CE-BLD/INS/MBD/2025-26 दिनांक 23.05.2025 एवं 14294/CE-BLD/INS/BAR/2025-26 दिनांक 28.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक "निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण (चालू कार्य)"के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर, सीतापुर मुजफ्फरनगर, अमरोहा एवं शाहजहांपुर के 05 कार्यों हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 1269.21 लाख (रू0 बारह करोड़ उनहत्तर लाख इक्कीस हज़ार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत/ पुनरीक्षित धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	62/2017/123आ0/23-5-17-38(भवन)/2017, दि0 26.10.2017 एवं 39/2018/69आ0/23-5-18-38(भवन)/2017, दिनांक 15.05.2018 एवं 20/2019/01आ0/23-5-19-38(भवन)/2017, दिनांक 08.03.2019 (पुनरीक्षण) एवं	जनपद कानपुर नगर में कैण्ट स्थित सर्किट हाउस में प्रेसीडेन्सियल कक्ष, वी0वी0आई0 पी0 कक्ष, पार्किंग, बाउण्ड्रीवाल एवं पार्किंग	1597.21	0.10	1597.11	1517.03	0.00	80.08	80.08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	43/2019/126आ0/23-5-19-09(भवन)/2018 टीसी-1, दिनांक 13.08.2019 एवं 11/2021/381आ0/23-5-20-02(भवन)/2018 टीसी, दि0 18.01.2021 एवं 47/2021/422आ0/23-5-20-31(भवन)/2017 टीसी, दि0 18.03.2021 (पुनरीक्षण) एवं 102/2021/218आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 22.09.2021 एवं 05/2022/396आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 12.01.2022 एवं 19/2022/47आ0/23-5-22-09(भवन)/2018, दिनांक 23.05.2022 एवं 26/2023/001-26आ0 /23-5-23-09भवन-2018टीसी, दिनांक 09.02.2023 एवं 65/2024/आई-692407/001-303आ0/23-5002-002-45-2024, दिनांक 16.07.2024	पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।							
2	36/2024/आई5206 89/001-170आ0/23-5002-002-21-2024, दिनांक 15.03.2024 एवं 17 /2025/आई-855696 /001-02आ0/23-5002-002- 4-2025, दिनांक 20.01.2025	सीतापुर में नैमिषारण्य में भूतल पर 04 कक्षों के निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य(भविष्य में (जी+3) तल तक संरचनात्मक परिकल्पना सहित)। (सिविल कार्य।	271.72	5.06	266.66	96.00	0.00	170.66	95.00

http://shasanadesh.up.gov.in

3	15/2024/आई493094 /001-45आ0/23-5002-002-04-2024 दिनांक 12.02.2024 एवं 10/2025/आई-846597/001 - 648आ0/23-5002-002-4-2024 दिनांक 09.01.2025	मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-58 के समीप पुराने बाईपास की अनुपयोगी भूमि पर नये निरीक्षण भवन के भूतल(चार सूट) का निर्माण कार्य। (सिविल कार्य)	211.47	04.35	207.12	142.63	0.00	64.49	54.13
4	70/2023/001-134आ0/23-5-23-13(भवन)/2023 दिनांक 28.03.2023 एवं 24/2025/आई-863866/001 - 27आ0/23-5002-002-4-2024 दिनांक 09.01.2025	जनपद अमरोहा में विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण।	191.23	0.56	190.67	82.63	0.00	108.04	40.00
5	60/2025/आई-898840/001 - 152आ0/23-5002-002-93-2024 दिनांक 05.03.2025	शाहजहांपुर में 10 नग वी0आई0पी0 सूट सर्किट हाउस के निर्माण कार्य (सिविल कार्य)	1747.20	288.34	1458.86	85.00	81.33	1455.19	1000.00
योग									**1269.21**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय,लो0नि0वि0,लखनऊ द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है तो सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 12,69,21,000(रूपये बारह करोड़ उनहत्तर लाख इक्कीस हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512100 निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 124/2025/आई-978103/001-362आ0(1)/23-5-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी कानपुर नगर, सीतापुर मुजफ्फरनगर, अमरोहा एवं शाहजहांपुर।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर, सीतापुर मुजफ्फरनगर, अमरोहा एवं शाहजहांपुर।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, सहारनपुर क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र एवं बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0।
11- अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, सीतापुर वृत्त, सहारनपुर वृत्त, मुरादाबाद वृत्त एवं बरेली वृत्त, लो0नि0वि0।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-भवन, लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सीतापुर।
14- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर।
15- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा।
16- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-भवन, लो0नि0वि0, बरेली।
17- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।